न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प-जबलपुर

निगरानी प्रकरण कमांक /2018 जिला जबलपुर

I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2018/1523

रत्नासिंह ठाकुर पिता गुलाब सिंह ठाकुर
पति विवेक रावत उम्र 37 वर्ष
निवासी 109-ए महाकौशल कालोनी,
सरस्वती स्कूल के पीछे, आधारताल ---- आवेदक
जबलपुर

विरूद्व

1- धर्मेन्द्र शुक्ला पिता श्री सदाफल शुक्ला
निवासी मथुरा बिहार आईटीआई
जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा ---- अनावेदकगण
कलेक्टर, जिला जबलपुर

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 128/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2017 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम ऐंठाखेड़ा,न.बं. 97/79 प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 193/1/1/2 रकबा 0.630 हैक्टर स्थित है । इस भमि के अतिरिक्त आवेदिका के पास अन्य ग्राम बार प.ह.नं. 32 में खसरा नं. 163 रकबा 4.820 हैक्टर भूमि और है । आवेदक ग्राम ऐंठाखेड़ा की उक्त भूमि को अनावेदक क्रमांक 1 गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री धर्मेन्द्र शुक्ला पिता श्री सदाफल शुक्ला को विकय करना चाहता है । अतः उसे विकय की अनुमति दी जाये ।

3. यहकि, कलेक्टर महोदय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन हेतुभेजा जिस

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/1523

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२/3/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 128/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09-1-2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की गई भूमि के विक्रय की अनुमति से संबंधित है, जो आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंठाखेडा नं0 बं0 97/79 प0ह0नं0 28 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 193/1/1/2 रकबा 0.630 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय की गई भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति की सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुमति मांगी गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम बार प0ह0नं0 32 तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 4.82 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदक का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन जिसमें आवेदक को भूमि का कम प्रतिफल होने का उल्लेख किया गया है, के आधार पर निरस्त किया गया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों एवं निगरानी आवेदन में यह कहा गया है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है एवं उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है । आवेदक के उक्त तर्क को दृष्टिगत रखते हुए तथा आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम ऐंठाखेडा नं0 बं0 97/79 प0ह0नं0 28 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 193/1/1/2 रकबा 0.630 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा	

XXXIX(a)BR(H)-11 -4-

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/1523

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	